



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34653

प्रतिवेद्य

सुरक्षित: 02.12.2025

पारित: 17.02.2026

आदेश से पहली अपील संख्या-2756 वर्ष 2025

राधेलाल गुप्ता ... अपीलकर्ता

बनाम

श्याम सुंदर गुप्ता @ गणेश प्रसाद गुप्ता और अन्य ... प्रतिपक्षीगण

पक्षगण के लिए उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री अंकुर शर्मा, श्रीमती निधि अग्रवाल

प्रतिपक्षियों के लिए: श्री देवांश मिश्रा, श्री चंद्र प्रकाश कुशवाहा, दिलीप कुमार सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप जैन

1- प्रस्तुत अपील वादी द्वारा आदेश 43 नियम 1(आर) सहपठित धारा 104 सी.पी.सी. के अंतर्गत अपर जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), महोबा द्वारा मूल वाद संख्या 3 वर्ष 2025, राधेश्याम लाल गुप्ता बनाम श्याम सुन्दर गुप्ता उर्फ गणेश प्रसाद गुप्ता एवं अन्य में दिनांक 29.8.2025 को पारित उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वादी के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन संख्या 6-सी2 तथा विवादित संपत्ति पर निर्माण कार्य रोकने हेतु प्रस्तुत आवेदन संख्या 31-सी2 को निरस्त कर दिया गया है।

वादपत्र का मामला

2. तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि वादी ने ओ.एस. संख्या-157 वर्ष 2024 दायर किया, जिसे सं-3 वर्ष 2025 के रूप में पुनर्क्रमित किया गया था, इस कथन के साथ कि विवादित संपत्ति को 'शंकर गोदाम' के रूप में जाना जाता है, जो महोबा के मोहल्ला चजमानपुरा में स्थित है, जिसे 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' के एच.यू.एफ. (हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति) की आय से, अपने साझेदार सेठ गया प्रसाद के नाम पर, पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



31.8.1943 को निष्पादित किया गया, खरीदा गया था, जिसे इसके बाद 'फर्म' के रूप में संदर्भित किया गया है। यह भी बताया गया कि उस समय उपरोक्त फर्म के भागीदार देवकीनंदन, गया प्रसाद, राम नाथ, रामचरण और भवानीदीन थे। यह भी कहा गया कि जो भी संपत्ति खरीदी गई थी, वह उपरोक्त फर्म की आय से थी। यह भी कहा गया कि उस समय विवादित संपत्ति मोहल्ला कानूनगोयान में खंडहर में पड़ी थी, जिसे अब मोहल्ला चजमानपुरा के नाम से जाना जाता है। यह भी कहा गया कि वर्तमान में विवादित संपत्ति एक मैदान के रूप में है जिसमें भगवान शंकर का एक पुराना मंदिर और एक कुआं का निर्माण किया गया है।

3. यह भी कहा गया कि चूंकि विवादित संपत्ति का बिक्री विलेख प्रतिपक्षी संख्या-1 के पिता के नाम पर था, इसलिए प्रतिपक्षी संख्या-1 व्यक्तियों को गुमराह करके विवादित संपत्ति को बेचने का इरादा रखता है, जबकि, विवादित संपत्ति उपरोक्त एच.यू.एफ. (हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति) की संपत्ति है। यह भी कहा गया कि उपरोक्त फर्म के सभी भागीदारों की मृत्यु हो गई है और अब उनके कानूनी उत्तराधिकारी संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं, जो अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार संपत्ति बेचने का इरादा रखते हैं।

4. यह भी कहा गया कि विवादित संपत्ति उपरोक्त एच.यू.एफ. (हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति) से संबंधित है, जिसमें वादी और प्रतिपक्षियों को हिस्सा मिला है, इस प्रकार, इसे एकमात्र व्यक्ति द्वारा बेचा नहीं जा सकता है। यह भी कहा गया कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति 'शंकर गोदाम' को प्रतिपक्षी संख्या-1 द्वारा प्रतिपक्षी संख्या-7 मोहम्मद इम्तियाज और प्रतिपक्षी संख्या-8 चेतनपाल सिंह यादव को 30.1.2025 को पंजीकृत अलग-अलग बिक्री विलेखों के माध्यम से अवैध तरीके से बेचा गया है, जिसके आधार पर उपरोक्त खरीदारों में कोई अधिकार स्वामित्व / हक्के मिल्कियत और हित निहित नहीं है।

5. यह भी कहा गया कि प्रतिपक्षी संख्या-1 द्वारा दायर उपरोक्त फर्म का आयकर निर्धारण दिनांक 26.7.1978 से पता चलता है कि विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. से ऊपर की है, और यह एच.यू.एफ. की संपत्ति में प्रतिपक्षी संख्या-1 के हिस्से को 20% के रूप में भी प्रकट करता है, लेकिन फिर भी प्रतिपक्षी संख्या-1 विवादित संपत्ति को पूरी तरह से बेचने और प्रतिफल को हड़पने का इरादा रखता है।

6. वादी ने निम्नलिखित राहत का दावा किया है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) स्थायी निषेधाज्ञा के डिक्री द्वारा, प्रतिपक्षी संख्या-1 को शंकर गोदाम के नाम से जानी जाने वाली विवादित संपत्ति को बेचने से रोका जाए।

(ii) प्रतिपक्षी संख्या-7 और 8 के पक्ष में प्रतिपक्षी संख्या-1 द्वारा निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 30.1.2025 को रद्द कर दिए जाएं और इसकी जानकारी संबंधित उप-पंजीयक को भेजी जाए।

(iii) प्रतिपक्षी खरीददार प्रतिपक्षी संख्या-7 और 8 के खिलाफ वादी के पक्ष में दी गई स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री द्वारा, उन्हें विवादित संपत्ति में कोई भी विध्वंस, निर्माण और इसे बेचने से रोका जाए।

प्रतिपक्षी का मामला

7. प्रतिपक्षी संख्या-1 श्याम सुंदर गुप्ता उर्फ गणेश प्रसाद गुप्ता ने अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि बिक्री विलेख के आधार पर, उनके पिता गया प्रसाद विवादित संपत्ति के मालिक थे। यह कहा गया था कि विवादित संपत्ति को उनके पिता स्वर्गीय गया प्रसाद ने अपनी अर्जित आय से दिनांक 2.9.1943 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा था, और उसके बाद, उनके पिता विवादित संपत्ति के कब्जे में एकमात्र मालिक बन गए। यह कहा गया था कि बाद में उसके पिता द्वारा उनके पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की गई थी, और उसके पिता की मृत्यु के बाद, वह विवादित संपत्ति के कब्जे में एकमात्र मालिक है, और मालिक के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, 30.1.2025 को प्रतिपक्षी संख्या-7 और 8 के पक्ष में विवादित संपत्ति के बिक्री विलेख निष्पादित किए और उन्हें अपना कब्जा भी सौंप दिया।

8. प्रतिपक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' की है। यह अनुमान लगाया गया था कि उपरोक्त फर्म का गठन 01.11.1951 को किया गया था, जबकि विवादित संपत्ति को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से उनके दिवंगत पिता की स्व-अर्जित आय से 2.9.1943 को खरीदा गया था, जो साबित करता है कि विवादित संपत्ति न तो एच.यू.एफ. की संपत्ति थी और न ही कोई वादी का अधिकार स्वामित्व / हक्के मिल्कियत और हित इसमें निहित है, इसलिए, वादी का मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं था और खारिज किए जाने योग्य था।

9. यह भी कहा गया था कि इस मुकदमे में एच.यू.एफ. के सदस्य जयनारायण गुप्ता उर्फ हिंदी भैया को प्रतिपक्षी संख्या-2 के रूप में आरोपित किया गया है, जिसने पहले दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ संभाग) की अदालत में ओ.एस. संख्या-156 वर्ष 2024 दायर किया है, मोहबा ने जैनरैन गुप्ता बनाम श्याम सुंदर गुप्ता और अन्य और ओ.एस. मोहबा के नाम से जैनरैन गुप्ता बनाम श्याम सुंदर गुप्ता और अन्य मामले लंबित हैं। यह आगे कहा गया कि उपर्युक्त मुकदमों में, और प्रस्तुत मुकदमे, कार्रवाई का कारण और दावा की गई राहत एक ही है, प्रतिपक्षी संख्या-2 को प्रस्तुत मुकदमे में सह-वादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। यह वादी और प्रतिपक्षी संख्या-2 के बीच मिलीभगत को दर्शाता है। यह भी कहा गया कि ओ.एस. संख्या-259 वर्ष 1991 में, एच.यू.एफ. (हि०अ०प०सं०) के अंतिम कर्ता स्वर्गीय रामचरण गुप्ता ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया कि प्रतिपक्षी संख्या-1 विवादित संपत्ति का एकमात्र मालिक था, जो साबित करता है कि विवादित संपत्ति प्रतिपक्षी संख्या-1 की स्वअर्जित संपत्ति है, जिसमें वादी को कोई अधिकार स्वामित्व / हक्के मिल्कियत और हित नहीं मिला है।

10. यह भी कहा गया कि वादी ने संपत्ति शुल्क निर्धारण आदेश की फोटोकॉपी दायर की है, जो साक्ष्य में अस्वीकार्य थी, जिसकी कार्यवाही में प्रतिपक्षी संख्या-1 मौजूद नहीं था, लेकिन उसका चचेरा भाई रामस्वरूप उपस्थित था, क्योंकि रामस्वरूप द्वारा की गई कोई भी स्वीकारोक्ति प्रतिपक्षी संख्या-1 पर बाध्यकारी नहीं थी। यह भी कहा गया कि चूंकि वाद के लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति को बेच दिया गया है, इसलिए वादी का मुकदमा निष्फल हो गया है। यह भी कहा गया कि वादी ने यह साबित करने के लिए कि विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. की है, फर्म की बैलेंस शीट, फर्म के लाभ और हानि खाते आदि जैसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य दायर नहीं किया है, जो प्रथम दृष्टया साबित करता है कि वादी को विवादित संपत्ति में कोई अधिकार और हित नहीं मिला है और सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में नहीं है।

11. प्रतिपक्षी संख्या-7 और 8 ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया है कि विवादित संपत्ति उनके द्वारा दिनांक 30.1.2025 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी गई है, जो उनके कब्जे में है। यह भी कहा गया कि विवादित संपत्ति पर पुराने निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर तीन मंजिला भवन का निर्माण किया गया है, इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा की राहत के लिए वादी का मुकदमा निरर्थक हो गया है। यह भी कहा गया कि प्रतिपक्षी संख्या-1 के पिता विवादित संपत्ति के एकमात्र मालिक थे, जिन्होंने अपनी पूरी चल



और अचल संपत्ति के संबंध में दिनांक 01.2.1972 को एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रभावी हो गई, और इस वसीयत के आधार पर, प्रतिपक्षी संख्या-1 ने विवादित संपत्ति के बिक्री विलेख को उनके पक्ष में निष्पादित किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, वादी को उपरोक्त बिक्री विलेखों को रद्द करने की राहत प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

12. वाद के लंबित रहने के दौरान वादी ने वादपत्र में उल्लिखित आधारों पर एक अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन संख्या-6- सी2 पेश किया, जिसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं जा रहा है। वादी ने प्रतिपक्षी संख्या-1,7 और 8 को विवादित संपत्ति पर खड़े निर्माणों को ध्वस्त करने और विवादित संपत्ति पर निर्माण कार्य को रोकने से रोकने के लिए एक आवेदन 31-सी2 भी दायर किया।

13. प्रतिपक्षियों ने उपरोक्त आवेदनों पर उन्हीं आधारों पर आपत्ति जताई, जिनका उल्लेख उनके द्वारा अपने लिखित बयान में किया गया था, इस तरह, उन्हें संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं जा रहा है।

अवर न्यायालय के निष्कर्ष

14. विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.8.2025 के आक्षेपित आदेश द्वारा निष्कर्ष निकाला कि वादी ने इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया है कि फर्म 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' कब अस्तित्व में आई और इसके अस्तित्व की अवधि भी साबित नहीं हुई थी। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि दिनांक 31.8.1943 के बिक्री विलेख की सही प्रति के अवलोकन से यह साबित नहीं हुआ कि संपत्ति फर्म की आय से खरीदी गई थी। यह केवल यह खुलासा करता है कि संपत्ति का खरीदार गया प्रसाद था। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि 14.5.1974/20.5.1974 के संपत्ति शुल्क के मूल्यांकन आदेश से पता चलता है कि मृतक गया प्रसाद की संपत्ति के संबंध में रिटर्न प्रतिपक्षी संख्या-1 श्याम सुंदर गुप्ता द्वारा दायर किया गया था और आवश्यक जानकारी मृतक रामस्वरूप के चचेरे भाई द्वारा प्रदान की गई थी। विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उपरोक्त दस्तावेज से पता चलता है कि विवादित संपत्ति में मृतक गया प्रसाद का हिस्सा केवल 20% था। विचारण न्यायालय ने आगे निष्कर्ष निकाला कि उपरोक्त आदेश से पता चलता है कि गया प्रसाद एच.यू.एफ. (हि०अ०प०सं०) देवकीनंदन गया प्रसाद के सहदायिक थे, जो निर्धारण वर्ष 1952 - 53 तक अस्तित्व में थे।



30.10.1951 को उपरोक्त एच.यू.एफ. (हि०अ०प०सं०) का आंशिक विभाजन हुआ और उसके बाद, साझेदारी फर्म 01.11.1951 को अस्तित्व में आई, जिसमें 5 सहदायिक थे। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि उपरोक्त दस्तावेज एक फोटोकॉपी थी, जो साक्ष्य में अस्वीकार्य थी, और इसके अलावा, उपरोक्त कार्यवाही में मृतक गया प्रसाद के चचेरे भाई, अर्थात् रामस्वरूप द्वारा जानकारी प्रदान की गई थी, लेकिन जब फर्म 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' अस्तित्व में आई, तो इसका खुलासा नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय ने आगे निष्कर्ष निकाला कि संपत्ति शुल्क मूल्यांकन आदेश एक निर्णायक सबूत नहीं था, जहां तक विवादित संपत्ति के स्वामित्व का संबंध था, इस दस्तावेज के आधार पर, वादी को विवादित संपत्ति में कोई अधिकार और हित नहीं माना जा सकता है।

15. विचारण न्यायालय ने आगे निष्कर्ष निकाला कि वादी ने दिनांक 21.8.1972 के साझेदारी विलेख की फोटोकॉपी दायर की है, जिससे पता चलता है कि इसे काशी प्रसाद के पुत्र रामनाथ गुप्ता, देवकीनंदन के पुत्रों बाबूलाल गुप्ता और रामस्वरूप गुप्ता, भवानी दीन के पुत्र राधे लाल गुप्ता और गया प्रसाद के श्याम सुंदर गुप्ता के पुत्र के बीच निष्पादित किया गया था। इस विलेख से यह भी पता चलता है कि फरवरी 1967 को फर्म 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' का पिछला साझेदारी विलेख था, लेकिन विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस आधार पर भी, यह स्थापित नहीं किया गया था कि 31.8.1943 को फर्म 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' अस्तित्व में थी।

16. विचारण न्यायालय ने रिट बी संख्या-6108 वर्ष 2024 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.12.2024 के आदेश का भी अवलोकन किया और निष्कर्ष निकाला कि प्लॉट संख्या-1866 से संबंधित विवाद, जिसे वर्ष 1956 में बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया था, जिसे एच.यू.एफ. की संपत्ति माना गया था, जिसके खिलाफ एस.एल.पी. शीर्ष न्यायालय में लंबित थी।

17. विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ओ.एस. संख्या-259 वर्ष 1991 और 156 वर्ष 2024 में, विवादित संपत्ति 'शंकर गोदाम' के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा की राहत का दावा किया गया है, जो प्रस्तुत मुकदमे में दावा की गई राहत के समान है, और अधिकांश पक्ष मुकदमों में समान हैं। विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वादी ने उपरोक्त तथ्य को छिपाकर मुकदमा दायर किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वादी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा है। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि वादी के पक्ष में सुविधा का कोई संतुलन भी नहीं था और चूंकि विवादित संपत्ति को प्रतिपक्षी संख्या-1 द्वारा प्रतिपक्षी संख्या-7 और 8 के पक्ष में 30.1.2025 को पहले ही बेच दिया गया है, और विवादित भूमि पर निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है, इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि वादी अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत का हकदार नहीं था, साथ ही, विवादित संपत्ति पर निर्माण कार्य को रोकने की राहत के लिए। तदनुसार, दोनों आवेदन 6-सी2 और 31- सी2 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ वादी ने प्रस्तुत अपील दायर की है।

अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ

19. वादी-अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वादी और प्रतिपक्षी के संख्या-1 से 6 एच.यू.एफ. के सदस्यों के कानूनी उत्तराधिकारी हैं "काशी प्रसाद गया प्रसाद" और विवादित संपत्ति "शंकर गोदाम" को उपरोक्त एच.यू.एफ. की आय से उसके साथी, प्रतिपक्षी संख्या-1 गया प्रसाद के पिता के नाम पर खरीदा गया था, जो वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित हुआ था, लेकिन विचारण न्यायालय ने अन्यथा माना है। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि गया प्रसाद उपरोक्त एच.यू.एफ. के भागीदार थे, इसलिए 31.8.1943 के बिक्री विलेख के माध्यम से उनके नाम पर खरीदी गई संपत्ति को उपरोक्त एच.यू.एफ. की आय से खरीदा गया था, जिसका प्रतिपक्षियों द्वारा खंडन नहीं किया गया है, इस तरह, विचारण न्यायालय ने अन्यथा निष्कर्ष निकालने में गलती की है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि मृतक गया प्रसाद की संपत्ति के संबंध में उनके बेटे प्रतिपक्षी संख्या-1 द्वारा 26.7.1978 को प्रस्तुत संपत्ति शुल्क निर्धारण आदेश में, एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी कि विवादित संपत्ति उपरोक्त एच.यू.एफ. की संपत्ति थी जिसमें गया प्रसाद का हिस्सा केवल 20% था, लेकिन फिर भी विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी की है। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि प्रतिपक्षी संख्या-1 की ओर से प्रवेश था, इसलिए यह उस पर बाध्यकारी था, और उस स्वीकार्यता को देखते हुए, प्रतिपक्षी संख्या-1 खुद को विवादित संपत्ति का पूर्ण मालिक होने का दावा नहीं कर सकता है।

20. यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि रिट 'बी' संख्या-6108 वर्ष 2014 में, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2024 के आदेश द्वारा तय किया गया था, निर्णायक रूप से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह माना गया था कि विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. की संपत्ति थी, जिसका याचिकाकर्ता श्याम सुंदर गुप्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है, जो प्रस्तुत मुकदमे में प्रतिपक्षी संख्या-1 है, जैसे, यहां तक कि इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर भी, यह साबित हुआ कि विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. की संपत्ति थी। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभिलेखों पर उपरोक्त सबूतों को देखते हुए, विचारण न्यायालय ने प्रतिपक्षियों को विवादित संपत्ति पर निर्माण करने से रोकने के लिए वादी के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन 6-सी2 और आवेदन 31-सी2 को खारिज करने में गलती की है। इन प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए और गुण-दोष के आधार पर अनुमति दी जाए।

21. अपने सबमिशन के समर्थन में अधिवक्ता ने निम्नलिखित न्याय निर्णय विधियों पर भरोसा किया है: -

(i) आदिवेप्पा और अन्य बनाम। भीमप्पा और एक अन्य (2017) 9 एस.सी.सी. 586

(ii) रमाकांत अंबालाल चोकसी बनाम हरीश अंबालाल चोकसी और अन्य 2024

एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3538

(iii) दलपत कुमार बनाम प्रहलाद सिंह (1992)1 एस.सी.सी. 719

(iv) मुडिगौड़ा गौड़ा शंख और अन्य बनाम रामचंद्र रेवगौड़ा शंख उनके एलआर और अन्य (1969)1 एस.सी.सी. 386

22. प्रतिपक्षी-उत्तरदाता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने वादी के पूरे साक्ष्य पर विचार किया है और एक तर्कसंगत आदेश पारित किया है, जिसमें कोई विकृति, मनमानी नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभिलेखों पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर संभव है, भले ही अपीलीय अदालत का विचार हो कि, साक्ष्य के आधार पर एक और दृष्टिकोण संभव है, फिर भी, अपीलीय अदालत विचारण न्यायालय द्वारा पहुंचे निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के विवेकाधीन आदेश में अपीलीय अदालत द्वारा हस्तक्षेप के पैरामीटर अच्छी तरह से तय किए गए हैं, और उपरोक्त मापदंडों



को ध्यान में रखते हुए, यह मामला एक उपयुक्त मामला नहीं है, जो इस न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

23. यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित संपत्ति हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) की संपत्ति थी, यह सिद्ध करने का प्रारम्भिक भार वादी पर था, जिसका वादी द्वारा विधि के अनुसार कभी निर्वहन नहीं किया गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मात्र स्वीकृति के आधार पर किसी संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व एवं हित उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि गया प्रसाद द्वारा दिनांक 01.2.1972 को निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर गया प्रसाद की मृत्यु के उपरांत विवादित संपत्ति उनके पुत्र, प्रतिवादी संख्या-1, को वसीयत द्वारा प्राप्त हुई तथा तत्पश्चात संपत्ति अभिलेखों में उनका नाम भी दर्ज कर दिया गया, परंतु उक्त नामांतरण को चुनौती देने हेतु वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 31.8.1943 का था और वर्ष 2024 में वाद दायर किए जाने तक उक्त विक्रय विलेख को चुनौती देने से वादी को किसी भी बात ने नहीं रोका था। यह तथ्य स्वयं सिद्ध करता है कि वादी सदैव यह स्वीकार करता रहा कि विवादित संपत्ति स्वर्गीय गया प्रसाद की स्वअर्जित संपत्ति थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा विवादित संपत्ति के संबंध में स्वामित्व की घोषणा हेतु कोई राहत नहीं मांगी गई है, अतः वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की राहत प्रदान नहीं की जा सकती। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वादी का वाद परिसीमा से बाधित था तथा वाद के लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति प्रतिवादी संख्या 7 एवं 8 को विक्रय कर दी गई और उसका कब्जा भी उन्हें सौंप दिया गया, जिन्होंने उस पर निर्माण कार्य भी कर लिया है। ऐसी स्थिति में स्थायी निषेधाज्ञा की राहत हेतु प्रस्तुत वादी का वाद निष्फल हो गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि दिनांक 31.8.1943 को विवादित संपत्ति के क्रय के समय हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) अस्तित्व में था।

24. यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि रिट कार्यवाही में, प्लॉट संख्या-1866 से संबंधित विवाद, जिसे वर्ष 1956 में बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया था, जो वर्ष 1943 के बिक्री विलेख से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था, जो कि प्रस्तुत मुकदमे में मामला है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वादी को यह साबित करना था कि एच.यू.एफ. कब अस्तित्व में आया और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके अस्तित्व की अवधि क्या थी, क्योंकि वर्ष 1974 के बाद, वादी द्वारा कथित एच.यू.एफ. के अस्तित्व/निरंतरता के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि वादपत्र में, विवादित संपत्ति के क्षेत्र, विवादित संपत्ति के भूखंड/खसरा संख्या-का खुलासा नहीं किया गया है, जबकि रिट में उच्च न्यायालय का निर्णय विशेष रूप से एक विशेष भूखंड संख्या-1866 से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपर्युक्त रिट में उच्च न्यायालय के निर्णय से यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि दिनांक 31.8.1943 को बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी गई विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. की संपत्ति थी।

25. यह भी प्रस्तुत किया गया कि ओ.एस. संख्या-259 वर्ष 1991 और 156 वर्ष 2024 भी पक्षों के बीच निपटान के लिए लंबित हैं, जिसमें विवादित संपत्ति और दावा की गई राहत भी समान है, लेकिन वादी ने उपरोक्त मुकदमों के लंबित होने के तथ्य को छुपाया है, और केवल इस आधार पर, वादी निषेधाज्ञा की विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. की संपत्ति थी, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती थी, जिसने प्रतिपक्षियों को विवादित संपत्ति पर निर्माण करने से रोकने के लिए वादी के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन 6-सी2 और आवेदन 31-सी2 को खारिज करने में कोई अवैधता नहीं की है। इन प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि अपील गुणहीन है और प्रवेश चरण में खारिज कर दी जाए।

26. मैंने अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री अंकुर शर्मा, प्रतिपक्षी संख्या-7 और 8 के लिए श्री दिलीप कुमार सिंह की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव सिंह, प्रतिपक्षी संख्या-1 के लिए श्री चंद्र प्रकाश कुशवाहा के साथ श्री देवांश मिश्रा को आक्षेपित आदेश और अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए सुना है।

इस न्यायालय का निष्कर्ष

27. वादी का आरोप है कि एक एच.यू.एफ. "काशी प्रसाद गया प्रसाद" था और विवादित संपत्ति "शंकर गोदाम", जिसे स्वर्गीय गया प्रसाद द्वारा दिनांक 31.8.1943 को बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया था, उपरोक्त एच.यू.एफ. के धन से खरीदा गया था, लेकिन वर्ष 1974 के संपत्ति शुल्क निर्धारण आदेश को छोड़कर, उपरोक्त एच.यू.एफ. के अस्तित्व को साबित करने



के लिए कोई अन्य दस्तावेजी सबूत नहीं है। यदि उपरोक्त कथित एच.यू.एफ. वर्ष 2024 में प्रस्तुत मुकदमा दायर करने के समय भी अस्तित्व में है, तो वादी अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए अपना आयकर रिटर्न, साझेदारी विलेख, लाभ और हानि खाते का विवरण, तुलन-शीट, उसके द्वारा धारित संपत्ति का विवरण आदि दाखिल कर सकता था, लेकिन ऐसा कोई सबूत अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं है।

28. वादी द्वारा भरोसा किए गए संपत्ति शुल्क निर्धारण आदेश से पता चलता है कि गया प्रसाद की मृत्यु 4.4.1972 को निर्वसीयत हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उनके द्वारा धारित संपत्ति के संबंध में संपत्ति शुल्क रिटर्न दायर की गई थी। मूल्यांकन कार्यवाही में, मृतक का भतीजा रामस्वरूप उपस्थित हुआ और मूल्यांकन अधिकारी को आवश्यक जानकारी प्रदान की। आकलन आदेश में कहा गया है कि गया प्रसाद का एच.यू.एफ. मेसर्स काशी प्रसाद गया प्रसाद और मेसर्स काशी प्रसाद देवकीनंदन में हिस्सा था। यह भी खुलासा करता है कि पहले आकलन वर्ष 1952-53 तक एक बड़ा एच.यू.एफ. मेसर्स देवकीनंदन गया प्रसाद था, हालांकि, 30.10.1951 को उक्त एच.यू.एफ. का आंशिक विभाजन हुआ था, जिसमें कुल पूंजी को 5 भाइयों के बीच विभाजित किया गया था और नई साझेदारी फर्म 01.11.1951 को अस्तित्व में आई। आदेश में कहा गया है कि आकलन वर्ष 1971 के लिए दाखिल संपत्ति कर रिटर्न के अनुसार, मृतक द्वारा मेसर्स काशी प्रसाद गया प्रसाद के साथ निवेश की गई पूंजी 42,468/- रुपये थी। आदेश में यह भी कहा गया है कि उनकी मृत्यु के समय, गया प्रसाद का मेसर्स काशी प्रसाद गया प्रसाद में 20% हिस्सा था। सवाल यह उठता है कि क्या वर्ष 1972 में गया प्रसाद की मृत्यु के बाद भी 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' का कथित एच.यू.एफ. अस्तित्व में है, क्योंकि वर्ष 2024 में मुकदमा दायर करने के समय वादी द्वारा अपने निरंतर अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है।

29. यह और भी आश्चर्य की बात है कि यदि विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. की थी तो वादी इतने सालों तक चुप क्यों रहा। यह स्पष्ट है कि वर्ष 1972 में गया प्रसाद की मृत्यु के बाद, उनकी पंजीकृत वसीयत के आधार पर, उनके बेटे/प्रतिपक्षी संख्या-1 का नाम संपत्ति अभिलेखों में बदल दिया गया था, और बाद में 30.1.2025 को, उन्होंने प्रतिपक्षी संख्या-7 और 8 के पक्ष में विवादित संपत्ति के 2 बिक्री विलेख निष्पादित किए हैं और इसका कब्जा भी उन्हें सौंप दिया गया है, जिन्होंने इस पर निर्माण कार्य किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



30. आदिवेप्पा (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी स्थिति से निपट रहा था जहां वादी ने यह घोषणा करने की मांग की थी कि अनुसूची 'बी' और 'सी' में वर्णित वाद संपत्ति स्व-अर्जित थी, अनुसूची 'डी' की संपत्ति पैतृक थी, जिसमें वादी के पास परिवार के सदस्यों के रूप में 4/9 वां हिस्सा था, जिसके संबंध में परिवार के सदस्यों के बीच कोई विभाजन नहीं हुआ था और इस तरह, वादी ने विभाजन की भी मांग की। प्रतिपक्षियों ने वादी के दावे से इनकार किया और कहा कि अनुसूची 'बी, सी और डी' में शामिल पूरी वाद संपत्ति पैतृक संपत्ति थी, जिसमें 28.10.1993 को हनमप्पा के जीवनकाल के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच मौखिक विभाजन हुआ था, जिसके अनुसार, परिवार के सभी सदस्यों को उनके संबंधित शेयरों के कब्जे में रखा गया था। ऐसी परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि-

'22. उन्होंने कहा, हिंदू कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक कानूनी धारणा है कि प्रत्येक हिंदू परिवार भोजन, पूजा और संपत्ति में संयुक्त है और विभाजन के किसी भी सबूत के अभाव में, इस तरह की कानूनी धारणा परिवार में काम करती रहती है। इसलिए, बोझ उस सदस्य पर है जो पारिवारिक संपत्तियों में संयुक्तता के अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद अपने दावे पर जोर देता है कि पैतृक संपत्तियों के पूरे लॉट में से कुछ संपत्तियां उसकी स्व-अर्जित संपत्ति हैं।

23. हमारी सुविचारित राय में, अनुसूची बी और सी में शामिल वाद संपत्तियों की कानूनी धारणा भी पैतृक संपत्ति (अनुसूचित डी) का हिस्सा और पार्सल होने के लिए आसानी से तैयार की जा सकती है क्योंकि ऐसी संपत्तियों के वादी की स्व-अर्जित संपत्ति होने के किसी भी सबूत के अभाव में आसानी से तैयार किया जा सकता है। यह इस कारण से भी था कि वादी ने स्वयं अनुसूची डी संपत्तियों के संबंध में संयुक्त परिवार के नाभिक के अस्तित्व को स्वीकार करके अपने मामले को आधार बनाया था और 4/9 वें हिस्से की मांग करके विभाजन की मांग की थी।

24. हमारी सुविचारित राय में, इसलिए, वादी के लिए यह साबित करना अनिवार्य था कि परिवार में संयुक्तता के अस्तित्व के बावजूद, अनुसूची बी और सी में वर्णित संपत्ति पैतृक संपत्तियों का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उनकी स्व-अर्जित संपत्ति थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वादी किसी भी सबूत के अभाव में इस ठोस तथ्य को साबित करने में

विफल रहे।

31. यह स्पष्ट है कि आदिवेप्पा (उपरोक्त) के मामले में वादी की ओर से एक स्वीकारोक्ति थी कि अनुसूची डी की संपत्ति पैतृक थी और अनुसूची बी और सी की संपत्ति स्व-अर्जित थी, जिसे प्रतिपक्षियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि अनुसूची बी, सी और डी की सभी संपत्ति संयुक्त थी, जिसके संबंध में एक मौखिक विभाजन पहले ही हो चुका है, और परिवार के सदस्यों के पास उनके संबंधित हिस्से हैं। इस पृष्ठभूमि में, शीर्ष न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि चूंकि वादी की ओर से एक स्वीकारोक्ति थी कि अनुसूची डी संपत्ति संयुक्त थी, जैसे, अनुसूची बी और सी की अन्य संपत्ति, जिसे वादी द्वारा स्वअर्जित के रूप में दावा किया गया था, वादी की ओर से सबूत की कमी के कारण, संयुक्त संपत्ति के रूप में भी माना जाएगा।

32. यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में तथ्य की स्थिति आदिवेप्पा (उपरोक्त) से पूरी तरह से अलग है क्योंकि वादी ने आरोप लगाया है कि विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' के धन से खरीदी गई थी, जिसे प्रतिपक्षियों द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि विवादित संपत्ति का बिक्री विलेख दिनांक 31.8.1943, गया प्रसाद के नाम पर था, जिसे बाद में वर्ष 1972 में प्रतिपक्षी संख्या-1 को वसीयत कर दिया गया है। प्रतिपक्षियों का यह कहना है कि विवादित संपत्ति गया प्रसाद की स्व-आय से खरीदी गई थी। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आदिवेप्पा (उपरोक्त) के न्याय निर्णयज विधि पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

33. सर्वोच्च न्यायालय ने मुडिगौड़ा गौड़ा शंख (उपरोक्त) के मामले में, इस बात पर विचार करते हुए कि क्या यह धारणा है कि एक हिंदू परिवार केवल इसलिए कि वह संयुक्त है, उसके पास कोई संयुक्त संपत्ति है, जो निम्नानुसार है: -

"6.... यह साबित करने का भार कि कोई विशेष संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है, इसलिए, पहली बार में उस व्यक्ति पर है जो इसे सहदायिक संपत्ति के रूप में दावा करता है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार की संपत्ति के केंद्र का कब्जा या तो स्वीकार किया जाता है या साबित किया जाता है, तो संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी भी अधिग्रहण को संयुक्त परिवार की संपत्ति माना जाता है। हालांकि यह



इस सीमा के अधीन है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे कि इसकी सहायता से प्रश्न में संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता था। यह केवल एक पर्याप्त नाभिक के कब्जे को दिखाए जाने के बाद होता है, कि जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाती है जो संपत्ति को स्व-अधिग्रहण के रूप में दावा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपत्ति पारिवारिक संपत्ति से किसी भी सहायता के बिना अर्जित की गई थी

34. यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में वादी पर यह साबित करने का भार है कि वर्ष 1943 में एच.यू.एफ. 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' की पर्याप्त आय/नाभिक था, जिसके माध्यम से गया प्रसाद विवादित संपत्ति खरीद सकते थे, लेकिन वादी द्वारा इस बोझ को प्रथम दृष्टया निर्वहन नहीं किया गया है। प्रतिपक्षियों की ओर से इस बात की कोई स्वीकारोक्ति नहीं है कि विवादित संपत्ति उपरोक्त एच.यू.एफ. 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' की आय से खरीदी गई थी, वास्तव में, प्रतिपक्षियों द्वारा वर्ष 1943 में एच.यू.एफ. के अस्तित्व से इनकार किया गया है।

35. वादी ने रिट-बी संख्या-6108 वर्ष 2014 श्याम सुंदर गुप्ता बनाम राजस्व बोर्ड और अन्य में इस न्यायालय के दिनांक 09.12.2024 के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा प्रदत्त अधिकारों से संबंधित मामला जो 3.9.1956 याचिकाकर्ता के पिता गया प्रसाद के पक्ष में भूखंड संख्या-1709 और 1866 के संबंध में निष्पादित किया गया था। आदेश में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्ष 1972 में उनके पिता की मृत्यु के बाद, एच.यू.एफ. समाप्त हो गया, सभी संपत्तियों को परिवार के 5 सदस्यों के बीच विभाजित कर दिया गया था और वर्ष 1972 में नई मालिकाना जहाज फर्म का गठन किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता साबित करने में विफल रहा। इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित भूखंड संख्या-1866 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' के एच.यू.एफ. की संपत्ति थी और तदनुसार, रिट याचिका को खारिज कर दिया है। पक्षकारों के अधिवक्ता स्वीकार करते हैं कि उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को शीर्ष न्यायालय के समक्ष एस.एल.पी. दायर करके चुनौती दी गई है, जो निपटान के लिए लंबित है।

36. यह स्पष्ट है कि उपरोक्त रिट याचिका में विवाद केवल प्लॉट संख्या-1866 के संबंध में था। प्रस्तुत मामले में, वादी ने विवादित संपत्ति के भूखंड/खसरा संख्या-का उल्लेख नहीं किया है, यह क्षेत्र है, इस प्रकार, उपरोक्त रिट याचिका में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। रिट में उपरोक्त निर्णय के आधार पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि विवादित संपत्ति जिसे दिनांक 31.8.1943 को बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी गई थी, एच.यू.एफ. "काशी प्रसाद गया प्रसाद" की संपत्ति है।

37. सर्वोच्च न्यायालय ने अंबिका प्रसाद ठाकुर बनाम राम एकबाल राय ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 605, अवतार सिंह बनाम गुरदयाल सिंह (2006) 12 एस.सी.सी. 552, रामचंद्र सखाराम महाजन बनाम दामोदर त्र्यंबक ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 2577 और भारत संघ बनाम इब्रामुद्दीन (2012) 8 एस.सी.सी. 148 के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ स्वामित्व / हक्के मिल्कियत के संबंध में एक पक्ष द्वारा प्रवेश के प्रभाव पर विचार किया है। यह माना गया कि स्वामित्व / हक्के मिल्कियत केवल प्रवेश से पारित नहीं हो सकता है।

जब अपीलीय न्यायालय इन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है

38. वांडर लिमिटेड और अन्य बनाम एंटॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1990 पूरक एस.सी.सी. 727 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करते हुए अपीलीय अदालतों द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर चर्चा करते हुए, निम्नानुसार अवधारित किया: -

"14. खंड पीठ के समक्ष अपील एकल न्यायाधीश द्वारा विवेक के प्रयोग के खिलाफ थी। ऐसी अपीलों में, अपीलीय न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायालय के विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने स्वयं के विवेक को प्रतिस्थापित करेगा, सिवाय इसके कि जहां विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से, या मनमाने ढंग से या विकृत रूप से किया गया है या जहां न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञाओं के अनुदान या इनकार को विनियमित करने वाले कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की थी। विवेक के प्रयोग के खिलाफ अपील को सिद्धांत रूप में अपील कहा जाता है। अपीलीय अदालत सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगी और अवर न्यायालय द्वारा पहुंची गई एक निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगी यदि उस अदालत द्वारा सामग्री पर पहुंचा गया उचित रूप से संभव था। अपीलीय न्यायालय को आम तौर पर अपील के तहत विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप करने में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा कि यदि उसने परीक्षण के चरण में मामले पर विचार किया होता तो यह एक विपरीत



निष्कर्ष पर पहुंचता। यदि विचारण न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग यथोचित और न्यायिक तरीके से किया गया है, तो यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया होगा, विचारण न्यायालय के विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहरा सकता है। इन सिद्धांतों का उल्लेख करने के बाद **गजेंद्रगडकर प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड बनाम पोथन जोसेफ [(1960)3 एस.सी.आर. 713: ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1156] में: (एस.सी.आर. 721)**

"... ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं, लेकिन जैसा कि विस्काउंट साइमन ने चार्ल्स ओसेंटन एंड कंपनी बनाम में देखा है। [1942 एसी 130]

"... अपने विवेक का प्रयोग करते हुए नीचे के न्यायाधीश द्वारा किए गए आदेश के अपील की अदालत द्वारा उलटने के रूप में कानून अच्छी तरह से स्थापित है, और जो भी कठिनाई उत्पन्न होती है वह केवल एक व्यक्तिगत मामले में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आवेदन के कारण होती है।

39. रमाकांत अंबालाल चोकसी बनाम हरीश अंबालाल चोकसी और अन्य 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3538 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेक में अपीलीय अदालत द्वारा निषेधाज्ञा और हस्तक्षेप के संबंध में सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। प्रासंगिक प्रस्तर निम्नानुसार हैं: -

"26. इस न्यायालय द्वारा **वांडर [वांडर लिमिटेड बनाम एंटॉक्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, 1990 पूरक एस.सी.सी. 727]** में समझाए गए कानून के सिद्धांतों को इस न्यायालय के बाद के कई निर्णयों में दोहराया गया है। हालांकि, समय के साथ हस्तक्षेप के दायरे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण को और अधिक कठोर बना दिया गया है। मुकदमे के अंतिम निर्णय के लंबित होने तक निषेधाज्ञा देने के आदेश में केवल तथ्य या कानून की त्रुटि के बजाय अब विकृति पर अधिक जोर दिया गया है।

27. **नियॉन लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड [नियॉन लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (2016) 2 एस.सी.सी. 672: (2016)2 एस.सी.सी. (सीआईवी) 190]**, इस न्यायालय ने माना कि अपीलीय अदालत को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग में कमजोर, सनकी या हल्के ढंग से हस्तक्षेप



नहीं करना चाहिए जब तक कि इस तरह की कवायद स्पष्ट रूप से विकृत न हो। विकृति कानून की समझ या दलीलों या सबूतों की मूल्यांकन से संबंधित हो सकती है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने यह विचार लिया कि अस्थायी निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ हस्तक्षेप करने के लिए, विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में विकृति का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

28. मो. मेहताब खान बनाम खुशनुमा इब्राहिम खान [मो. मेहताब खान बनाम खुशनुमा इब्राहिम खान, (2013) 9 एस.सी.सी. 221: (2013) 4 एस.सी.सी. (सीआईवी) 285], इस न्यायालय ने वांडर में निर्धारित सिद्धांतों पर जोर दिया और कहा कि जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक समान रूप से संभव दृष्टिकोण हो सकता है, इस तरह के दृष्टिकोण को लेने की मात्र संभावना आदेश 39सी.पी.सी. के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को रद्द करने का आधार नहीं बनना चाहिए। अवर न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने का आधार विचारण न्यायालय के आदेश में दुर्भावना, मनमानी, मनमानी या विकृति होना चाहिए। प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं: (एस.सी.सी. पृष्ठ 230, प्रस्तर-20)

"20. ऐसी स्थिति में जहां पक्षों के संबंधित मामलों और उसके समक्ष रखे गए दस्तावेजों पर विचार करने पर विचारण न्यायालय का यह विचार था कि अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश के लिए वादी का अधिकार गंभीर संदेह में था, अपीलीय अदालत विचारण न्यायाधीश द्वारा विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी जब तक कि इस तरह की कवायद स्पष्ट रूप से गलत या अस्थिर नहीं पाई जाती थी। विचारण न्यायाधीश के साथ जिन कारणों को तौला गया है, जैसा कि हमारे अनुसार पहले ही देखा जा चुका है, यह इंगित नहीं करते हैं कि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए, अपीलीय अदालत को इस मामले में अपने विचारों को केवल इस आधार पर प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए था कि उसकी राय में मामले के तथ्य एक अलग निष्कर्ष की मांग करते हैं। विवेकाधीन आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए इस तरह की कवायद सही मानदंड नहीं है। हालांकि हमें यह नहीं समझा जाना चाहिए कि अपीलीय न्यायालय अपने निष्कर्षों में गलत था, जिस बात पर जोर देने की मांग की जाती है वह यह है कि जब तक विचारण न्यायालय का



दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था, तब तक अपीलीय अदालत को इस संबंध में कानून के लगभग स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा वांडर लिमिटेड बनाम एंटॉक्स इंडिया (प्रा) लिमिटेड में निर्धारित किया गया है।

29. श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2023)1 एस.सी.सी. 634: (2023)1 एस.सी.सी. (सीआईवी) 301] में इस न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय और अपीलीय अदालत का पदानुक्रम मौजूद है ताकि विचारण न्यायालय कानून के स्थापित सिद्धांतों पर अपने विवेक का प्रयोग करे। एक अपीलीय अदालत, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, विचारण न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की मूल्यांकन करने और उपलब्ध सीमित क्षेत्र के भीतर शुद्धता या अन्यथा उसकी जांच करने का एक लाभ होता है। पीठ ने आगे कहा कि यदि अपीलीय अदालत स्वयं उन मामलों का फैसला करती है जिन पर अवर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है, तो अदालतों के पदानुक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

30. मोनसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी बनाम नुजिवीडू सीड्स लिमिटेड [मोनसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी बनाम नुजिवीडू सीड्स लिमिटेड, (2019)3 एस.सी.सी.381:(2019)2 एस.सी.सी. (सीआईवी) 158] में इस न्यायालय ने कहा कि अपीलीय अदालत को एकल न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को यह तय करने के लिए नहीं हड़पना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामले के परीक्षण, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति मामले में बनाई गई है या नहीं।

31. अंतरिम निषेधाज्ञा देने या देने से इनकार करने वाले एक अंतरिम आदेश से अपील में अपीलीय अदालत को केवल आदेश 43 सी.पी.सी. के तहत अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे को नियंत्रित करने वाले अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को लागू करने वाले ऐसे आदेश की वैधता का निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिसे इस न्यायालय के विभिन्न अन्य निर्णयों में दोहराया गया है। अपीलीय न्यायालय को असीमित क्षेत्राधिकार नहीं ग्रहण करना चाहिए और वांडर मामले में निर्धारित रूपरेखा के भीतर अपनी शक्तियों का मार्गदर्शन करना चाहिए .

32. आनंद प्रसाद अग्रवाल बनाम तारकेश्वर प्रसाद [आनंद प्रसाद अग्रवाल बनाम आनंद प्रसाद अग्रवाल बनाम तारकेश्वर प्रसाद, (2001) 5 एस.सी.सी. 568] , इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि किसी भी अदालत के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के चरण में एक मिनी-विचारण अवधारित करना उचित नहीं होगा।

33. वादी पर यह साबित करने का बोझ है कि उसके पक्ष में "प्रथम दृष्टया मामला" है जिसे मुकदमे में निर्णय की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया अधिकार का अस्तित्व और उसकी संपत्ति या अधिकार के आनंद का उल्लंघन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए एक शर्त है। प्रथम दृष्टया मामले को प्रथम दृष्टया स्वामित्व / हक्के मिलिकियत के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जिसे मुकदमे में साक्ष्य के आधार पर स्थापित किया जाना है। केवल प्रथम दृष्टया मामला एक ठोस प्रश्न उठाया गया है, जिसे वास्तविक रूप से उठाया गया है, जिसकी जांच और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस बात का संतोष कि प्रथम दृष्टया मामला अपने आप में है, निषेधाज्ञा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को आगे यह संतुष्ट करना होगा कि अदालत द्वारा हस्तक्षेप न करने से राहत मांगने वाले पक्ष को "अपूरणीय क्षति" होगी और निषेधाज्ञा देने के अलावा पक्ष के पास कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है और उसे आशंकित चोट या बेदखली के परिणामों से सुरक्षा की आवश्यकता है। हालांकि, अपूरणीय चोट का मतलब यह नहीं है कि चोट की मरम्मत की कोई शारीरिक संभावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब केवल यह है कि चोट एक ठोस होनी चाहिए, अर्थात्, जिसे नुकसान के माध्यम से पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। तीसरी शर्त यह भी है कि "सुविधा का संतुलन" निषेधाज्ञा देने के पक्ष में होना चाहिए। निषेधाज्ञा देने या देने से इनकार करते समय न्यायालय को पर्याप्त शरारत या चोट की मात्रा का पता लगाने के लिए ठोस न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए, जो पक्षों को होने की संभावना है, यदि निषेधाज्ञा से इनकार कर दिया जाता है और इसकी तुलना उस पक्ष से करनी चाहिए जो निषेधाज्ञा दिए जाने पर दूसरे पक्ष के कारण होने की संभावना है। यदि प्रतिस्पर्धी संभावनाओं या चोट की संभावना की संभावनाओं का वजन करने पर और यदि न्यायालय मानता है कि मुकदमे को लंबित रखते हुए, विषय-वस्तु को यथास्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए, तो निषेधाज्ञा जारी की जाएगी। इस प्रकार, न्यायालय को मुकदमे के लंबित अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत देने या अस्वीकार करने में अपने ठोस न्यायिक विवेक का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रयोग करना होगा। (देखें दलपत कुमार बनाम प्रहलाद सिंह [दलपत कुमार बनाम प्रहलाद सिंह, (1992) 1 एस.सी.सी. 719])

34. दलील और कानून के जानबूझकर उल्लंघन में किया गया कोई भी आदेश एक विकृत आदेश है। मोफेट बनाम गफ [मोफेट बनाम गफ, (1878) 1 एलआर आर्डीआर 331] में न्यायालय ने कहा कि एक विकृत फैसले को संभवतः एक ऐसे फैसले के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो न केवल सबूतों के वजन के खिलाफ है बल्कि पूरी तरह से सबूतों के खिलाफ है। गॉडफ्रे बनाम गॉडफ्रे [गॉडफ्रे बनाम गॉडफ्रे, 106 एनडब्ल्यू 814: 127 विस 47 (1906)] में, न्यायालय ने "विकृत" को "गलत रास्ते पर मुड़ने" के रूप में परिभाषित किया; सही नहीं; दाईं ओर से विकृत; जो सही, उचित आदि है उससे दूर या विचलित होना।

35. अभिव्यक्ति "विकृत" को विभिन्न शब्दकोशों द्वारा निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है:

(ए) ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, 6 वां संस्करण।

विकृत "इस तरह से व्यवहार करने के लिए जानबूझकर दृढ़ संकल्प दिखाना जो ज्यादातर लोगों को लगता है कि गलत, अस्वीकार्य या अनुचित है।

(बी) लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्परेरी इंग्लिश "इंटरनेशनल एडन।

विकृत "जानबूझकर जो सामान्य और उचित है उससे दूर जाना।

(सी) द न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश " 1998 एडन;

विकृत "कानून (एक फैसले का) साक्ष्य के वजन या कानून के एक बिंदु पर न्यायाधीश के निर्देश के खिलाफ।

(डी) अंग्रेजी भाषा का न्यू वेबस्टर डिक्शनरी (डीलक्स इनसाइक्लोपेडिक एडन;

विकृत "जानबूझकर स्वीकृत या अपेक्षित व्यवहार या राय से विचलित होना; दुष्ट या स्वच्छंद; अड़ियल; क्रॉस या पेटुलेंट।

(e) स्ट्राउड ज्यूडिशियल डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, 4th Edn

विकृत "एक विकृत फैसले को संभवतः एक ऐसे फैसले के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो न केवल सबूतों के वजन के खिलाफ है बल्कि पूरी तरह से सबूतों के खिलाफ है।

36. गलत खोज सबूतों की पूरी तरह से गलत रीडिंग पर होनी चाहिए या यह केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित होनी चाहिए। विकृति पर सबसे सुरक्षित दृष्टिकोण तथ्यों पर उचित व्यक्ति के अनुमान पर क्लासिक दृष्टिकोण है। उनके लिए, यदि अवर न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्यों में तथ्यों पर निष्कर्ष संभव है, तो कोई विकृति नहीं है। यदि नहीं, तो खोज विकृत है। साक्ष्य की अपर्याप्तता या साक्ष्य का एक अलग पठन विकृति नहीं है। (देखें दामोदर लाल बनाम सोहन देवी [दामोदर लाल बनाम सोहन देवी, (2016) 3 एस.सी.सी. 78: (2016) 2 एस.सी.सी. (सीआईवी) 36]।

37. कानून की उपरोक्त स्थापित स्थिति के आलोक में देखते हुए, हमारा स्पष्ट विचार है कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने आदेश 43सी.पी.सी. के तहत अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया और विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए एक के लिए अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित किया, बिना कोई स्पष्ट निष्कर्ष दिए कि विचारण न्यायालय के आदेश को किसी भी विकृति से ग्रस्त क्यों कहा जा सकता है, मनमानी, मनमानी, दुर्भावनापूर्ण या आदेश 39सी.पी.सी. के तहत निषेधाज्ञा के अनुदान को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों की अनभिज्ञता में पारित किया गया है।

40. वांडर लिमिटेड (उपरोक्त) और रमाकांत अंबालाल चोकसी (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून से यह स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय केवल वहीं हस्तक्षेप कर सकता है जहां आक्षेपित आदेश दुर्भावनापूर्ण, मनमौजी, मनमाना या विकृत हो। यदि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था, तो अपीलीय न्यायालय को अपने दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी स्पष्ट है कि यदि उचित व्यक्ति के अनुसार, तथ्यों पर विचारण न्यायालय द्वारा पहुंचाया गया निष्कर्ष संभव था, तो कोई विकृति नहीं है। यदि नहीं, तो खोज विकृत है। शीर्ष



न्यायालय द्वारा आगे यह माना गया कि साक्ष्य की अपर्याप्तता या साक्ष्य का एक अलग पठन विकृति नहीं है।

41. यहां पहले किए गए विश्लेषण से, यह स्पष्ट है कि, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में कोई गलती नहीं की है कि वर्ष 1943 में एच.यू.एफ. 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' के अस्तित्व को साबित करने के लिए न तो कोई प्रथम दृष्टया सबूत था और न ही विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. के फंड/आय/न्यूक्लियस से खरीदी गई थी।

42. यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में कोई गलती नहीं की है कि केवल एस्टेट ड्यूटी असेसमेंट ऑफिसर के समक्ष कार्यवाही में रामस्वरूप द्वारा प्रवेश के आधार पर, यह नहीं माना जा सकता है कि विवादित संपत्ति एच.यू.एफ. 'काशी प्रसाद गया प्रसाद' की थी। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में कोई गलती नहीं की है कि केवल उपरोक्त मूल्यांकन आदेश के आधार पर, विवादित संपत्ति के स्वामित्व का फैसला नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि केवल प्रवेश के आधार पर, विवादित संपत्ति का स्वामित्व / हक्के मिल्कियत वादी के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

43. यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट में मामला प्लॉट संख्या-1866 से संबंधित है, जिसे वर्ष 1956 में बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया था, जो प्रस्तुत मुकदमे में प्रासंगिक नहीं है।

44. यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि पहले ओ.एस. संख्या-259 वर्ष 1991 और 156 वर्ष 2024 भी प्रतिपक्षी संख्या-2 (प्रस्तुत मुकदमे के) द्वारा प्रतिपक्षी संख्या-1 (प्रस्तुत मुकदमे के) और अन्य के खिलाफ दायर किए गए थे, जिसमें विवादित संपत्ति समान है और दावा की गई राहत भी वही थी और मुख्य पक्ष भी वही थे, लेकिन वादी द्वारा इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था।

45. यह और स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि विवादित संपत्ति प्रतिपक्षी संख्या-7 और 8 को बेच दी गई है, जो इसके कब्जे में हैं और जिन्होंने उस पर निर्माण किया है, इस तरह, न तो वादी ने अपने प्रथम दृष्टया मामले को साबित किया है और न ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है।



46. यह भी स्पष्ट है कि वादी ने न तो अपने अधिकारों की घोषणा का दावा किया है और न ही विवादित संपत्ति में अपने कथित हिस्से के विभाजन का दावा किया है, बल्कि प्रतिपक्षी संख्या-7 और 8 के पक्ष में प्रतिपक्षी संख्या-1 द्वारा वाद के लंबित रहने के दौरान निष्पादित दिनांक 30.1.2025 को स्थायी निषेधाज्ञा और पंजीकृत बिक्री विलेखों को रद्द करने की राहत का दावा किया है। यह स्पष्ट है कि वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रथम दृष्टया विवादित संपत्ति में उसका कोई अधिकार और हित है, इस तरह विचारण न्यायालय ने वादी के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन 6-सी2 और आवेदन 31-सी2 को खारिज करने में कोई अवैधता नहीं की है।

47. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कोई विकृति नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, जो अभिलेखों पर मौजूद साक्ष्यों और प्रचलित कानून के अनुसार है, जिसे किसी भी तरह से मनमौजी, मनमाना या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है, इस तरह वांडर लिमिटेड (उपरोक्त) और रमाकांत अंबालाल चोकसी में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित हस्तक्षेप के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए (उपरोक्त) में, यह न्यायालय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। विचारण न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि वादी अपने प्रथम दृष्टया मामले को साबित करने में विफल रहा है और सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में नहीं है।

48. तदनुसार, प्रस्तुत अपील में कोई योग्यता नहीं है, और इसके द्वारा प्रवेश चरण में खारिज किया जाता है। नतीजतन, ओ.एस. संख्या-3 वर्ष 2025 में विचारण न्यायालय के दिनांक 29.8.2025 के आक्षेपित आदेश की पुष्टि की जाती है।

49. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार, योग्यता के आधार पर, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अधिमानतः प्रस्तुत मुकदमे का फैसला करे।



50. इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आदेश में की गई टिप्पणियां केवल इस अपील पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं और विचारण न्यायालय इससे प्रभावित और बाध्य नहीं होगा, और कानून के अनुसार, मुकदमे के दौरान पक्षों द्वारा पेश की गई दलीलों और सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र है।

दिनांक: 17.02.2026 / जितेंद्र / हिमांशु / मयंक

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

Translated Version. Not for Legal Use.